बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :– बु0वि0/सम्ब0/2015/ 117 दिनांक :– 18/05/2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
मोतीबाई राजाराम महाविद्यालय,
गरौठा, झांसी।

विषयः– स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित मोतीबाई राजाराम महाविद्यालय, गरौठा, झांसी को शिक्षा संकाय में बी0एड0 विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2015 से सशर्त सम्बद्वता की पूर्वानुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके महाविद्यालय की सम्बद्वता के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र स0 सम्ब0–1146/सत्तर–2–2014–16(258)/2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार तथा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014, (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) में दी गयी व्यवस्था के अधीन **मोतीबाई राजाराम महाविद्यालय, गरौठा, झांसी** को स्ववित्त पोषित योजना के अर्न्तगत शिक्षा संकाय में स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रमों/विषयों में सम्बद्वता की पूर्वानुमति प्रदान करने के लिये दिनांक 28.04.2015 को कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्वता समिति की बैठक में निरीक्षण मण्डल द्वारा की गई संस्तुति का परीक्षण किया गया।

परीक्षणोपरान्त सम्बद्वता समिति की संस्तुति के आधार पर तथा कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में मान्नीय कुलपति जी ने **दिनांक 01.07.2015 से आगामी दो वर्ष** के लिए सम्बद्वता की सहर्ष पूर्वानुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है।

1. उक्त महाविद्यालय द्वारा प्रवक्ताओं का सम्पूर्ण डाटा बैंक एकाउन्ट के साथ काउन्सलिंग से पूर्व कम्प्यूटर में अपलोड कर लिया जाय।
2. मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण, अनुबन्ध पत्र, बैंक खाता स0 एवं नियुक्ति पत्र का विवरण दिनांक 31.10.2015 के पूर्व विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. उक्त महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि कार्यपरिषद के निर्णयानुसार वार्षिक परीक्षा के पूर्व माह दिसम्बर, 2015 तक सभी कक्षों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष द्वारा इण्टरनेट के मांध्यम से जोड़ कर तद्नुसार सिस्टम एनालिस्ट का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. उक्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्वता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. उक्त महाविद्यालय शासनादेश स0 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। रिट

याचिका स0 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स0–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भलीभांति अनुपालन एवं अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र की प्रति, अनुबन्ध पत्र की प्रति एवं कार्यभार ग्रहण आख्या तथा शिक्षकों को एकाउन्टपेयी चैक द्वारा वेतन भुगतान सुनिश्चित करेगा।

6. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अर्न्तगत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(अखिलेश चन्द्र)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी
2. समाजकल्याण अधिकारी, झांसी।
3. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)।
4. डा0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट।
5. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. कुलसचिव के आशुलिपिक।
7. कार्यपरिषद से सम्बन्धित सहायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
8. एजेन्सी प्रतिनिधि।

कुलसचिव